[To be published in the Gazette of India, Part II, Section 3, Sub-section (ii)]

MINISTRY OF FINANCE
DEPARTMENT OF REVENUE
(CENTRAL BOARD OF DIRECT TAXES)
(Investigation Division-V)

## **NOTIFICATION**

New Delhi, the - 3, flug, 2018

**S.O.** \_\_\_\_\_\_ -- In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 280A of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government, in consultation with the Chief Justice of the Gauhati High Court hereby designate the Court of Munsiff No. 3 -cum Judicial Magistrate, 1<sup>st</sup> Class, Kamrup (M), Guwahati as the Special Court for the North Eastern Region for the purposes of the said Sub-section.

pothbication No-3712=11

[F. No. 285/09/2018-IT(Inv.V) CBDT]

Dr. Zakir Thomas, CIT(OSD)(INV), CBDT (भारत के राजपत्र के भाग-II, खण्ड-3, उपखण्ड-(ii) में प्रकाशनार्थ)

वित्त मंत्रालय राजस्व विभाग (केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड) (जांच प्रभाग-V)

## <u>अधिसूचना</u>

नई दिल्ली, दिनांक

2018

का.आ.- केन्द्र सरकार, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 280 ए की उपधारा(1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, गुवाहाटी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से, मुन्सिफ न्यायालय सं. 3- और न्यायिक मिजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी, कामरूप (एम) गुवाहाटी को, एतत् द्वारा उक्त उपखण्ड के प्रयोजनों से पूर्वोत्तर क्षेत्र के विशेष न्यायालय के रूप में पद नामित करती है।

[फा. सं. 285/09/2018 - आईटी (जांच-V) सीबीडीटी]

ज्यां र

डॉ. जाकीर थॉमस, सीआईटी (ओएसडी) (जांच),सीबीडीटी